आज ही

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

क्रमांक एफ ए 3–21/2021/1/पांच भोपाल, दिनांक /12/2021

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
मध्यप्रदेश, अरेरा हिल्स,
भोपाल।

विषयः– मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) नियम, 2021

उपरोक्त विषयक प्रकरण में विभाग द्वारा प्रस्तावित अधिसूचना क्रमांक **एफ ए 3–21/2021/1/पांच (90) दिनांक** 27.12.2021 के **अंग्रेजी एवं हिन्दी** प्रारूप की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त **अधिसूचना** का प्रकाशन **मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) अंक दिनांक** 27.12.2021 में करने का कष्ट करें। उक्त **अधिसूचना** का प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई, जो कि मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

sd/
(अनुभाग अधिकारी),
वाणिज्यिक कर विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 3–21/2021/1/पांच भोपाल, दिनांक 27/12/2021

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय इन्दौर की ओर एकल नस्ती जावक क्रमांक 195 दिनांक 21.12.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग–एक भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि किसी तकनीकी अधिकारी को नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में भेजकर प्रूफरिडिंग कराने का कष्ट करें।

(अनुभाग अधिकारी),
वाणिज्यिक कर विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

क्रमांक एफ ए 3–21/2021/1/पांच(90) भोपाल, दिनांक 27/12/2021

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश वृतिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-14-2010-पांच (68), दिनांक 16 अगस्त, 2010 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश वृत्ति कर नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

"3-क. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन का इलेक्ट्रानिक रीति में फाईल किया जाना.-

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पंजियन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नियोजक या व्यक्ति, विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल अर्थात्- www.mptax.mp.gov.in के माध्यम से उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार यथाविहित प्ररूप-1 या प्ररूप-3 में, यथास्थिति, डिजिटल हस्ताक्षर उक्त आवेदन इलेक्ट्रोनिक रीति से प्रस्तुत करेगा। ऐसे आवेदन को नियम 3 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

3-ख. पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन का मान्य अनुमोदन.-

जहां पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन नियम 3-क के अनुसार प्रस्तुत किया गया है और वृत्ति कर निर्धारण

प्राधिकारी द्वारा धारा 8 की उप धारा (3) में न तो विनिर्दिष्ट समयावधि में पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया है और न ही आवेदन पत्र निरस्त किया है तो पंजीयन का आवेदन अनुमोदित समझा जाएगा और पंजीयन प्रमाण पत्र, वृत्ति कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदत्त कर दिया गया समझा जाएगा। इस नियम के अधीन प्रदत्त किया समझा जाएगा पंजीयन प्रमाण पत्र या नियम 3 के अधीन प्रदत्त पंजीयन प्रमाण पत्र, यथास्थिति वृत्तिकर निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या बिना हस्ताक्षरित होकर विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल पर कम्प्यूटर जनरेटेड होगा जिसे आवेदक द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

HP/F/Section work 2021/Poonam/Vanijik kar Adhiniyam RR/23.12.2021

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

क्रमांक एफ ए 3–21/2021/1/पांच भोपाल, दिनांक 27/12/2021

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–21/2021/1/पांच (90), दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

Government of Madhya Pradesh
Commercial Tax Department
Mantralaya, Vallabh Bhavan, Bhopal - 462004

No. F A 3-21/2021/1/ V(90) Bhopal, Dated : 27/12/2021

// Notification //

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Madhya Pradesh Professional Tax Act, 1995 (No. 16 of 1995) and in supersession of this department's Notification No. F-A-3-14-2010-V (68) dated 16th August, 2010, the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Professional Tax Rules, 1995, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, for rule 3-A, the following rules shall be substituted, namely :-

"3-A. Electronic filing of application for grant of registration certificate.-

Every employer or person, required to obtain a certificate of registration under sub-section (1) or sub-section (2) of section 8 of the Act, shall submit an application electronically as prescribed in Form-1 or Form-3, as the case may be, with digital signature, through the official web portal of the department i.e. www.mptax.mp.gov.in in accordance with the instructions given therein. The provisions of rule 3 shall mutatis mutandis apply to such application.

3-B. Deemed approval of application for certificate of registration.-

Where an application for grant of registration certificate is furnished under rule 3-A and the Professional Tax

Assessing Authority neither granted the certificate nor rejected the application within the time specified in sub-section (3) of section 8 of the Madhya Pradesh Professional Tax Act, 1995, the application for registration shall be deemed approved and the certificate of registration shall be deemed to have been granted by the Professional Tax Assessing Authority. The certificate of registration, deemed granted under this rule or granted under rule 3, as the case may be, shall be system generated through the official web portal of the department with or without digital signature of the Professional Tax Assessing Authority and shall be downloadable at the applicant's end.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

(Deepali Rastogi)
Principal Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Commercial Tax Department

MP/E/Memon-331/Profession Tax